

कार्यालय-निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 06.02.2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय)

विषय :- शालादर्पण पोर्टल पर प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप बजट आवंटन के पश्चात् करणीय कार्यों के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 18.01.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि आपने निर्देशानुसार छात्रवृत्ति योजनावार एक्सल शीट डाउनलोड कर वांछित संशोधन कर लिए होंगे। निदेशालय द्वारा 08 छात्रवृत्ति योजनाओं के बजट प्रावधान जारी किए जा चुके हैं। समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को गत वर्षों की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान बाबत बजट प्रावधान दिनांक 03.10.2017 को जारी किए गए थे इस आवंटित राशि में से अब भी कुछ राशि उनके आई.एफ.एम.एस. खाते में शेष है। ध्यान रहे इस शेष राशि को समायोजित करते हुए बजट प्रावधान 2017-18 के प्रस्तावों हेतु जारी किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा शालादर्पण से डाउनलोड एवं संशोधित डाटा को भामाशाह पोर्टल पर अपलोड करते हुए अग्रिम भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। इस बाबत बिन्दुवार दिशानिर्देश निम्नांकित हैं:-

1. भामाशाह पोर्टल पर कार्यकरने हेतु प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर पर मेकर,चेकर एवं एकाउन्ट परसन की एस.एस.ओ. आई.डी. मेप की जा चुकी है। इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर अविलम्ब संशोधित सूचना निदेशालय को प्रस्तुत करते हुए मेपिंग का कार्य करवाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का रहेगा।
2. भामाशाह पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के उपरांत केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान हो पाएगा जिनके भामाशाह नम्बर/भामाशाह नामांकन वैध पाए जावेंगे साथ ही जिनके बैंक अकाउन्ट जो कि शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं वे भामाशाह कार्ड डाटा में मेप होंगे।
3. अतः प्रत्येक संस्थाप्रधान को इस बाबत पुनः निर्देशित करें कि यदि अब भी छात्रवृत्ति हेतु शालादर्पण पर अपलोड किए गए विद्यार्थियों के बैंक अकाउन्ट भामाशाह कार्ड डाटा में मेप नहीं हैं तो वे 03 दिवस में मेप करवाना सुनिश्चित करें। यह कार्य ई-मित्र केन्द्रों एवं अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से करवाया जा सकता है।
4. समस्त 10 छात्रवृत्ति योजनाएं जो कि शालादर्पण पोर्टल पर सम्पादित की जा रहीं हैं की डाउनलोड की गई "मूल एक्सल शीट" एवं "संशोधित एक्सल शीटें" इस पत्र के प्राप्त होते ही 03 दिवस में जरिये इस कार्यालय के ई-मेल पते deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
5. भामाशाह पोर्टल पर कार्य करते समय आ रही किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के निराकरण के लिए तत्काल स्थानीय जिला अटल सेवा केन्द्र के ए.सी.पी. महोदय से सहायता लें। तदुपरांत भी निराकरण न होने पर श्री सुनील कुमार चौधरी भामाशाह प्रकोष्ठ जयपुर से मोबाईल नम्बर 9875005622 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ध्यान रहे अनावश्यक एवं समस्या के तकनीकी न होने पर श्री सुनील से सम्पर्क ना किया जावे।
6. कतिपय विद्यालयों द्वारा बार-बार यह परिवेदना प्रस्तुत की जा रही है कि विभिन्न कारणों से वे शालादर्पण पोर्टल पर विद्यार्थियों का डाटा छात्रवृत्तियों हेतु फाइनल सबमिट नहीं कर पाए तथा वे अब पोर्टल को पुनः खोलने का निवेदन कर रहे हैं। इस सन्दर्भ में लेख है कि शालादर्पण पोर्टल को पुनः खोलना संभव नहीं है परन्तु यदि संस्थाप्रधान भामाशाह नम्बर /भामाशाह नामांकन संख्या सहित डाटा प्रस्तुत करना चाहें तो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा स्वीकार किया जावे परन्तु डाटा उसी प्रारूप में हो जिस प्रारूप में वह शालादर्पण पोर्टल से एक्सल शीट में डाउनलोड किया गया है। साथ ही संस्था प्रधान से इस आशय का घोषणा पत्र अनिवार्यतः प्राप्त किया जावे "कि मेरे द्वारा निर्धारित अंतिम दिनांक तक छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यार्थियों का विवरण शालादर्पण पोर्टल पर अपलोड कर फाइनल सबमिट नहीं किया जा सका इस कारण मैं यह डाटा ऑफ लाईन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा अन्यान्य कारणों से यदि मेरे विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो पाती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ।"

06/02/18
प्रभारी अधिकारी(छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2017-18

दिनांक : 06.02.2018

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

06/02/18
प्रभारी अधिकारी छात्रवृत्ति